यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न0:– 17 / 2024 तारीखरजू:– 24/5/24

उनवानः– फरेबी बनाम मोतीराम
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

ांक	फर्द अहकाम	
24/5/24	प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.05.2024 को पेश हो। (सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी	2001-03 24/4/23
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है एवं प्रतिवादी नं। लगा 3 के नोटिस तामील इन्कार होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वास्ते दिनांक 28.6.24 को पेश हो।	
28/6/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं। लगा0 3 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 24.7.24 को पेश हो।	
24/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित अधिवक्तागण उप। अप्रार्थी वकील को जबाब पेश करने की हिदायत दी गई। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक [illegible].8.24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी एवं पदेन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
23.6.25	पत्रावली पक्षकारान को प्रार्थना पत्र के तहत ली गई। उभय पक्षकारान पक्षकारान की इस बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। मुकदमा (प्रार्थीगण) आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र वापसी लिये जाने स्वीकार फरमाई जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिससे मैं सहमत हूँ। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वापसी लिये जाने स्वीकार की जाती है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम [illegible] फैसला [illegible] होकर नम्बर से कम [illegible] उपलब्ध है
पक्षकारान (प्रार्थीगण) सीताराम [illegible]	उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested